गुरु घासीदास विश्वविद्यालय
(केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 क्र. 25 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(नैक द्वारा A++ मान्यता प्राप्त)
कोनी,बिलासपुर- 495009 (छ.ग.)
दूरभाषः 07752–2602009 फैक्स : 07752–260154
ईमेल-: rajbhashacellggu@gmail.com,वेबसाइट: www.ggu.ac.in

Guru Ghasidas Vishwavidyalaya
(A Central University Established under the Central Universities Act, 2009 No.25 of 2009)
(A++ Grade Accredited by NAAC)
Koni, Bilaspur-495009 (C.G.)
Phone : 07752-260209, Fax : 07752-260154
E-Mail : rajbhashacellggu@gmail.com, Website : www.ggu.ac.in

क्रमांक 544 / **अकादमिक** /2025 बिलासपुर, दिनांक- 15.07.2025

विशेष ऑफ़लाइन स्नातकोत्तर काउंसिलिंग दिशा-निर्देश

1. **ऑफ़लाइन काउंसिलिंग का अंतिम चरण** (प्रावीण्य सूची में उपलब्ध अभ्यर्थियों के लिए) 22.07.2025 को आयोजित किया जाएगा। काउंसिलिंग के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा वेबसाइट पर अधिसूचित की जाएगी। इस संबंध में पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा।
2. किसी विभाग में **23.07.2025 को स्नातकोत्तर** कार्यक्रमों की कुछ सीटें रिक्त रह जाती हैं , तो सीयूईटी पीजी 2025 के माध्यम से विज्ञापित स्नातकोत्तर स्तर के कार्यक्रमों की ऐसी सभी रिक्त सीटों को भरने के लिए **31.07.2025 को एक विशेष ऑफलाइन** काउंसिलिंग आयोजित की जाएगी ।
3. विशेष ऑफलाइन काउंसिलिंग के लिए विभागवार रिक्तियों की सूची **23.07.2025 को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी** ।
4. इच्छुक उम्मीदवार जो सीयूईटी पीजी 2025 में उपस्थित हुए हैं या नहीं हुए हैं, वे सीयूईटी आवेदन पत्र (यदि उपलब्ध हो), सीयूईटी स्कोर कार्ड (यदि उपलब्ध हो), अंकसूची की फोटोकॉपी, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) के साथ सीधे रिक्त सीटों वाले संबंधित विभागों में प्रवेश के लिए **31.07.2025 को सुबह 11 बजे से पहले आवेदन कर सकते हैं** ।
5. **जिन अभ्यर्थियों ने अपने मुख्य आवेदन में गलती से गलत श्रेणी दर्ज कर दी है, वे भी मुख्य सीयूईटी आवेदन में दर्ज की गई जाति/श्रेणी को बदलने के लिए सादे कागज़ पर संबंधित विभागाध्यक्ष को आवेदन कर सकते हैं और संबंधित विभागाध्यक्ष इस परिवर्तन की अनुमति दे सकते हैं। अभ्यर्थी काउंसलिंग के इस विशेष चरण में भी अपने सीयूईटी स्नातकोत्तर आवेदन को एक कार्यक्रम से दूसरे कार्यक्रम में स्थानांतरित कर सकते हैं।**
6. काउंसलिंग प्रक्रिया में केवल रिक्त सीटों के लिए ही नए आवेदन स्वीकार किए जाएँगे । अतः, जो अभ्यर्थी सीयूईटी स्नातकोत्तर 2025 में उपस्थित नहीं हुए हैं और 23.07.2025 को अधिसूचित रिक्त सीटों पर गुरु घासीदास विश्वविद्यालय (GGV) में प्रवेश लेने के इच्छुक हैं, वे **31.07.2025 को प्रातः 11:00 बजे से पहले** संबंधित विभाग में रिपोर्ट कर सकते हैं ।
7. **ऑफ़लाइन काउंसिलिंग में उपस्थिति या प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त होने मात्र से आवेदक को किसी विषय में प्रवेश के लिए विचार किए जाने का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता ,जब तक वह प्रवेश सूचना CUET 2025 में** अधिसूचित आवश्यक सहायक दस्तावेजों **के साथ पात्रता की शर्तें पूर्ण नहीं कर लेतालेती/।**
8. विभाग अपने विभागों में आने वाले सभी अभ्यर्थियों को अनुरोध प्रस्तुत करने की अनुमति देंगे। प्रथम वरीयता उन अभ्यर्थियों को दी जाएगी, जिनके पास प्रवेश परीक्षा के लिए

प्रावीण्यता के आधार पर निर्धारित सुसंगत विषय/परीक्षा पत्र का स्कोर कार्ड होगा। इसके बाद, विभाग अन्य सभी अभ्यर्थियों की उनकी स्नातक डिग्री/ कार्यक्रम में प्राप्त अंकों के आधार पर एक और प्रावीण्य सूची तैयार करेगा और उन्हें प्रावीण्यता के आधार पर किसी विशेष कार्यक्रम में प्रवेश लेने की अनुमति देगा । किसी भी बराबरी की स्थिति में, पूर्व में अधिसूचित टाई ब्रेक फॉर्मूला लागू किया जाएगा।

9. प्रवेश लेने के इच्छुक अभ्यर्थियों को दिनांक 31.07.2025 को प्रातः 09.30 बजे से 11.00 बजे तक संबंधित विभाग में रिपोर्ट करना होगा।।
10. विभाग अभ्यर्थियों की मेरिट सूची दोपहर 01.00 से 01.30 बजे तक अधिसूचित करेंगे तथा उन्हें **31.07.2025 को शुल्क जमा करने की अनुमति देंगे।**
11. इस प्रक्रिया में भाग लेने के लिए किसी भी उम्मीदवार को कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।
12. **विभागाध्यक्ष 22.07.2025 को अतिरिक्त सीटों (कर्मचारी कोटा) पर आवेदकों को प्रवेश दे सकते हैं ।**
13. **स्नातकोत्तर कार्यक्रमों की कक्षाएं 23.07.2025 से शुरू होंगी ।**

कृपया सर्व संबंधितों के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

आदेशानुसार/By Order

कुलसचिव (कार्यवाहक)/ Registrar (Acting)

पृष्ठांकन क्रमांक/545/अकादमी/2025 बिलासपुर, दिनांक- 15.07.2025

प्रतिलिपि :-

1. कुलपति के सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. समन्वयक, आईटी सेल को सूचनार्थ तथा सभी के सूचनार्थ वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
3. परीक्षा नियंत्रक, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के सूचनार्थ ।
4. समस्त अधिष्ठाता /विभागाध्यक्ष/अधिकारी, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ।
5. मीडिया प्रभारी/जन संपर्क अधिकारी, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. वित्ताधिकारी/सहायक कुलसचिव, वित्त, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार शुल्क संग्रहण प्रक्रिया के समन्वय हेतु ।
7. कुलानुशासक/अधिष्ठाता छात्र कल्याण, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. कार्यालय प्रति/Offivl

सहायक कुलसचिव (अकादमी)/Assistant Registrar(Academy)

2/2